उपायुक्त –सह– जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

भू–वापसी अपील वाद सं0– 44/2010

किनु महतो बनाम् मो0 लखरी

13.08.2016

— :: आदेश ::—

अपीलार्थी किनु महतो पिता स्व0 हरीचरण महतो साकिन परसोतिया, थाना रामगढ़, जिला रामगढ़ द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ के द्वारा भू–वापसी वाद संख्या 29/1985–86/46/1997–98 लखरी देवी बनाम् किनु महतो में दिनांक 06.04.2010 को पारित आदेश के विरूद्ध अधोहस्ताक्षरी न्यायालय में अपील दायर किया गया है। इस वाद में विपक्षी मो0 लखरी पति स्व0 लालधन मुण्डा, साकिन कुंवर टोला, रामगढ़, थाना रामगढ़, जिला रामगढ़ को बनाया गया है। विवादित भूमि की विवरणी निम्नवत् है :–

मौजा	थाना	खाता नं0	प्लौट नं0	रकवा
रामगढ़	रामगढ़	97	2286	0.20 एकड़
			1798	0.96 एकड़
कुल जमा रकबा				1.16 एकड़

वाद अंगीकृत करते हुए सुनवाई हेतु विपक्षी को विधिवत् सूचना निर्गत किया गया एवं निम्न न्यायालय से अभिलेख प्राप्त किया गया।

अपीलार्थी एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना, निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख एवं अभिलेख में संलग्नक कागजातों का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत् भूमि आदिवासी खाते की भूमि हैं। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में निहित प्रावधान के तहत् आदिवासी खाते की भूमि का हस्तानान्तरण गैर आदिवासी को नहीं किया जा सकता है। अतः निम्न न्यायालय में पारित आदेश से असहमत होने का कोई ठोस आधार नहीं है। अपीलार्थी का अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। आदेश की प्रति नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ को भेजें। इसी आदेश के साथ वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

लेखाप्रित एवं संशोधित।

13/8/16

उपायुक्त,
रामगढ़।

13/8/16

उपायुक्त,
रामगढ़।